

अध्याय-4

**लेखों की गुणवत्ता और
वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार**

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबंधकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य की समेकित निधि या लोक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि समेकित निधि में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखों के अनुसार 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,744.34 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2018-19 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 477.69 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 266.32 करोड़ सहित कुल ₹ 273.25 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2019 को बोर्ड के पास ₹ 2,948.78 करोड़ की निधियां थीं।

4.1.2 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। 2011-19 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 4,527.92 करोड़ थीं तथा ₹ 4,046.87 करोड़ का व्यय किया गया था।

दोनों अधिनियम संग्रहित उपकर को रखने के लिए अलग निधियां बनाने का प्रावधान करते हैं। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित उपकर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हस्तांतरित किये जाते हैं जो पंजाब खजाना नियमों के नियम 7 (1) और उसके अधीन जारी किए गए सहायक खजाना नियमों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसके अनुसार राज्य सरकार को प्राप्त या प्रदत्त सभी धनराशि बिना देरी के राजकोष में पूर्ण रूप से भुगतान की जाएगी और राज्य की समेकित निधि में शामिल की जाएगी।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रह और उपयोग पर विधायिका की कोई निगरानी नहीं है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय को बजट से हटाकर नामांकित निधियों, जो विधायिका के प्राधिकार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के बाहर संचालित की जाती हैं, की ओर विपथित करने की प्रवृत्ति पर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

4.2 ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को 31 मार्च 2020 तक ₹ 32.89 करोड़ की शेष राशि वाले प्रमुख शीर्ष 8342 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। आठ प्रतिशत प्रति वर्ष (जी.पी.एफ. ब्याज दर) की दर पर ₹ 2.63 करोड़ की अपेक्षित न्यूनतम ब्याज के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

4.3 स्पष्ट देयताओं को शामिल न करना

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने ₹ 15.64 करोड़ की देयताओं का निर्वहन नहीं किया। ये देयताएं तीन श्रेणियों में हैं अर्थात् - (i) कोषागार कार्यालय द्वारा बिल पारित किए गए लेकिन अप्रदत्त रहे (₹ 0.15 करोड़), (ii) वित्त विभाग के पास लंबित बिल (₹ 15.34 करोड़) और (iii) कोषागारों में लंबित बिल (₹ 0.15 करोड़)। इसका राजस्व और राजकोषीय घाटे पर मामूली प्रभाव पड़ता है।

4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी राशियां सीधे तौर पर हस्तांतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2019-20 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 4,351.10 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि **तालिका 4.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.1: राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	249.72
2	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	1.09
3	बाजार पहुंच पहल	डेलॉइट टूचे टोहमात्सु इंडिया एल.एल.पी.	0.93
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	सभी जिलों के उपायुक्त	60.00
5	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	24.12
6	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास विभाग	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	118.23
7	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	29.01
8	दिव्यांग व्यक्ति एस.जे.ई. (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम तथा एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	0.69
9	सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी तथा अन्य	13.01
10	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन सी.एस. (संपदा)	हैफेड तथा अन्य	50.31
11	स्वदेश दर्शन - विषय आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	37.87
12	यूरिया फ्रेट सब्सिडी के लिए भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,840.29
13	आयातित पी. और के. उर्वरकों के लिए भुगतान	मोसेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	558.34
14	नई मंज़िल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	भारतीय कौशल विकास प्राइवेट लिमिटेड संस्थान	4.01
15	सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्य	पी.आर.एल. शिव जे.वी.	94.76
16	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	65.87
17	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	872.14
18	फसल अवशेषों का स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय हरियाणा	192.06
19	मूलभूत संरचना विकास और क्षमता निर्माण (एम.एस.एम.ई.)	एच.एस.आई.आई.डी.सी. राई तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.पी.)	23.63
20	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	जी.जे.यू. हिसार तथा अन्य	10.33
21	अन्य स्कीमें		104.69
		कुल	4,351.10

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

भारत सरकार ने राज्य में मौजूद विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,856.81 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इसमें से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,351.10 करोड़ जारी किए गए थे जो कि 2018-19 में जारी की गई राशि (₹ 4,226.45 करोड़) से तीन प्रतिशत अधिक थे। यह राज्य के बजट के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी राशि ₹ 2,851.99 करोड़ का 1.52 गुणा है।

शेष निधियां राज्य सरकार के दायरे से बाहर केंद्रीय निकायों और अन्य संगठनों को जारी की गई थीं।

4.5 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: 2015-16 से 2019-20 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आरंभिक शेष	9.68	10.92	12.07	9.71	7.81
प्राप्ति	5.34	6.52	3.13	2.16	1.66
संवितरण	4.10	5.37	5.49	4.06	2.13
अंतिम शेष	10.92	12.07	9.71	7.81	7.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है) प्रावधान करता है कि जहां अनुदान मंजूर किए जाते हैं और ऐसे मामले जिनमें व्यय की विशेष वस्तुओं के विनिर्देश के रूप में अनुदान की उपयोगिता की शर्तों को जोड़ा जाता है या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और खातों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) [पी.ए.जी. (ए. एंड ई.)] के अभिलेखों के अनुसार बकाया उ.प्र.प. की स्थिति और बकाया उ.प्र. पत्रों का वर्ष-वार विवरण **तालिका 4.3 और तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष ¹	आरंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	1,879	9,062.62	8,083	8,844.56	8,374	10,106.38	1,588	7,800.80
2018-19	1,588	7,800.80	7,709	8,429.14	7,565	7,760.45	1,732	8,469.49
2019-20	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58

स्रोत: पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 अगस्त 2020 को प्रतीक्षित उ.प्र.प.	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	1	10.85
2010-11	8	40.08
2011-12	41	137.00
2012-13	61	425.27
2013-14	87	720.32
2014-15	96	373.91
2015-16	225	574.56
2016-17	341	1,570.17
2017-18	511	2,184.11
2018-19	633	4,561.31
कुल	2,004	10,597.58

कुल 2,004 बकाया उ.प्र.प. में से ₹ 6,036.27 करोड़ के अनुदान के 1,371 उ.प्र.प. 2009-10 से 2017-18 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 10,598 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उ.प्र.प. बकाया थे, 83 प्रतिशत दो विभागों (50 प्रतिशत शहरी विकास विभाग: ₹ 5,271.20 करोड़ और 33 प्रतिशत ग्रामीण विकास विभाग: ₹ 3,495.22 करोड़) से संबंधित हैं जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने सामान्य उद्देश्यों के साथ-साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया। ₹ 2,684.38 करोड़ के अनुदानों के लिए 419 बकाया उ.प्र.प. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित थे। चूंकि उ.प्र.प. के अप्रस्तुतीकरण से इनका दुरुपयोग होने का जोखिम रहता है, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी ठहराए।

जून 2021 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग ने बताया कि राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तैयार करेगी।

¹ 2018-19 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2019-20 के दौरान ही देय होंगे।

4.6.1 अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना

2019-20 के दौरान ₹ 11,337.35 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से ₹ 905.17 करोड़ (कुल सहायता अनुदान का आठ प्रतिशत) के संबंध में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के नाम का उल्लेख 'अन्य' के रूप में किया गया था। इसमें से ₹ 140.11 करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए थे। 2015-20 के दौरान 'अन्य' के लिए संवितरित सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 4.5** में दिखाई गई है।

तालिका 4.5: 'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को सहायता अनुदान**(₹ करोड़ में)**

वर्ष	कुल सहायता अनुदान राशि	'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की राशि	कुल सहायता अनुदान की प्रतिशतता
2015-16	10,765.97	शून्य	शून्य
2016-17	12,647.14	शून्य	शून्य
2017-18	9,844.31	शून्य	शून्य
2018-19	10,077.83	1,129.59	11.21
2019-20	11,337.35	905.17	7.98

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

4.7 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्ष से डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना धन आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। डी.सी. बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

30 जून 2020 तक आपत्ति, लंबित समायोजन के अंतर्गत सार आकस्मिक बिलों का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: 30 जून 2020 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

वर्ष	लंबित डी.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	3	1.36
2018-19	90	17.66
2019-20	552	667.66
कुल	645	686.68

31 मार्च 2020 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों की 97.17 प्रतिशत राशि, चार विभागों अर्थात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (68.20 प्रतिशत - ₹ 468.30 करोड़ के आठ विस्तृत आकस्मिक बिल), परिवहन विभाग (18.89 प्रतिशत - ₹ 129.72 करोड़ के 218 विस्तृत आकस्मिक बिल), स्वास्थ्य विभाग (6.67 प्रतिशत - ₹ 45.78 करोड़ के

10 विस्तृत आकस्मिक बिल) और सामान्य शिक्षा विभाग (3.41 प्रतिशत - ₹ 23.45 करोड़ के 305 विस्तृत आकस्मिक बिल) से संबंधित है।

4.8 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य निधियों से हस्तांतरण द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरण संबंधित सेवा प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना आवश्यक है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। 31 मार्च 2020 को समेकित निधि से हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या मात्र दो थी। आगे, उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि से अलग निधियों के हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए और जो खाते तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए तथा ऐसे खातों में पड़ी हुई शेष राशि को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की ब्रॉडशीट के अनुसार 31 मार्च 2020 तक सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति तालिका 4.7 में दी गई है।

तालिका 4.7: 31 मार्च 2020 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

व्यक्तिगत जमा खातों का स्रोत	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान शामिल किए गए		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
समेकित निधि	1	1,018.44	1	107.94	..	814.66 ²	2	311.72
समेकित निधि से अलग	142	308.46	10	28.65	..	37.94 ²	152	299.17
कुल	143	1,326.90	11	136.59	..	852.60²	154	610.89

₹ 0.35 करोड़ की राशि वाले पांच व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए हैं।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित

² वर्ष के दौरान कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता बंद नहीं किया गया था। यह राशि वर्ष के दौरान सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों में प्रकट माइनस मेमोरेन्डा के लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करती है।


किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष के दौरान ₹ 1,02,514.14 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 10.24 प्रतिशत संघटित करते हुए विभिन्न राजस्व और पूंजीगत प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10,501.79 करोड़ का व्यय संबंधित प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (80 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, **तालिका 4.8** में दिए गए हैं।

तालिका 4.8: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का प्रमुख शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	149.42	149.15	100
2.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	8.72	8.05	92
3.	2700	मुख्य सिंचाई	1,156.86	946.56	82
4.	2801	विद्युत	6,978.40	6,978.40	100
5.	3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	11.61	9.71	84
6.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	117.37	97.33	83
7.	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	15.76	15.34	97
8.	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	28.85	28.85	100
कुल			8,466.99	8,233.39	97

2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।



माप से संबंधित मामले

4.10 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे						
लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	14.42	0.01	20.40	0.04	26.69	0.01
निवल	14.41 (डेबिट)		20.36 (डेबिट)		26.68 (डेबिट)	
102-उचंत लेखे (सिविल)	14.66	0.30	14.89	..	109.94	..
निवल	14.36 (डेबिट)		14.89 (डेबिट)		109.94 (डेबिट)	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	121.95	68.33	53.07	..	52.88	..
निवल	53.62 (डेबिट)		53.07 (डेबिट)		52.88 (डेबिट)	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	1.71	0.64	(-)10.56	(-)4.65	0.24	0.97
निवल	1.07 (डेबिट)		5.91 (क्रेडिट)		0.73 (क्रेडिट)	
110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय	4.33	..	4.67	..	11.58	..
निवल	4.33 (डेबिट)		4.67 (डेबिट)		11.58 (डेबिट)	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	..	77.08	..	29.85	..	129.85
निवल	77.08 (क्रेडिट)		29.85 (क्रेडिट)		129.85 (क्रेडिट)	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	डेबिट	क्रेडिट
102-लोक निर्माण प्रेषण	54.87	231.32	90.37	431.89	30.78	333.64
निवल	176.45 (क्रेडिट)		341.52 (क्रेडिट)		302.86 (क्रेडिट)	
103-वन प्रेषण	..	3.46	..	1.76	..	3.55
निवल	3.46 (क्रेडिट)		1.76 (क्रेडिट)		3.55 (क्रेडिट)	

स्रोत: वित्त लेखे

4.11 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है। समेकित निधि

के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय, दोनों के आंकड़ों का मिलान शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। साइबर खजानों के अंतर्गत आने वाली प्राप्तियों का मिलान कर लिया गया है।

4.12 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 2019-20 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 1,644.93 करोड़ था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 1,667.08 करोड़ सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 तक ₹ 22.15 करोड़ के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग के कारण है और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद शेष का मिलान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बड़ी विसंगतियां देखी गई थीं:

(i) दंडात्मक ब्याज दावों का निपटान न करना

एजेंसी बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 7.11 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का निपटान नहीं किया गया है। विवरण तालिका 4.10 में दिए गए हैं।

तालिका 4.10: दंडात्मक ब्याज दावों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	दंडात्मक ब्याज के विवरण	राशि
1	विलंबित प्रेषण/गलत भुगतान के कारण दंडात्मक ब्याज के दावे	4.57
2	पंजाब सरकार के बजाय हरियाणा सरकार को गलत ढंग से डेबिट की गई राशि के लिए दंडात्मक ब्याज	1.27
3	हरियाणा सरकार को डेबिट किए गए गलत भुगतान को लौटाने के कारण दंडात्मक ब्याज के दावे	1.27
	कुल	7.11

(ii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दावे का निपटान न करना

महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2015-16 में गलत भुगतान करने के लिए विलंब की अवधि हेतु ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज का दावा किया है। अभी तक उसका निपटान नहीं हुआ है।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

4.13 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन

मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2019-20 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां **तालिका 4.11** में दी गई हैं।

तालिका 4.11: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	आई.जी.ए.एस. 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसेकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है।
2	आई.जी.ए.एस. 2: सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) ` 4,863.28 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया है। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।
3	आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	राज्य सरकार द्वारा विवरण की पुष्टि नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 36 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतीकरण की स्थिति **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाई गई है।

12 स्वायत्त निकायों के संबंध में एक से तीन वर्षों का विलंब रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाए एवं लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.15 लेखों के अप्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम

1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

31 जुलाई 2020 तक 93 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 254 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है और विलंब की आयु-वार स्थिति **तालिका 4.12** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 4.12: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की आयु-वार स्थिति

क्र.सं.	विलंब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	92	447.06
2.	2-3	161	516.84
3.	4 एवं अधिक	1	2.45
	कुल	254	966.35

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाले 35 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 26 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की गई।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से हर वर्ष के अन्त तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके।

जून 2021 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग ने बताया कि बकाया वार्षिक लेखों को बिना किसी विलम्ब के लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे।

4.16 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादित करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के कार्यकारी परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को चलाने में दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है।

जून 2020 तक, ऐसे पांच³ उपक्रमों ने वर्ष 1986-87 और 2016-17 के बीच के वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 9,159.74 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखों के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिया गया है।

4.17 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आर.बी.आई. की सलाह के अतिरिक्त जिला कोषागारों, उप-कोषागारों, साइबर कोषागार, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं। मासिक लेखों को प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर लेखे प्रस्तुत करने में विफलता के कारण कुछ लेखों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मासिक सिविल लेखों से बाहर रखा जाता है।

2019-20 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

अन्य मामले

4.18 दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 1.34 करोड़ के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 64 मामलों में जून 2020 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन **तालिका 4.13** में दिया गया है।

³ (i) 1988-89 से बीज डिपो स्कीम; (ii) 1986-87 से कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण; (iii) 2007-08 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम; (iv) 2016-17 से अनाज आपूर्ति स्कीम; तथा (v) 2014-15 से हरियाणा रोडवेज।

तालिका 4.13: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/हानियों/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बड़े खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	
				मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	01	6.50	0	0.00	01	6.50	0	0.00
2	पशुपालन एवं डेयरी	01	0.08	0	0.00	01	0.08	0	0.00
3	शिक्षा	23	43.02	02	0.62	19	41.54	02	0.86
4	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	02	0.87	01	0.47	01	0.40	0	0.00
5	श्रम एवं रोजगार	02	0.15	0	0.00	02	0.15	0	0.00
6	पुलिस	01	3.79	01	3.79	0	0.00	0	0.00
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	03	8.63	0	0.00	02	5.93	01	2.70
8	खेल एवं युवा कल्याण	01	39.58	0	0.00	01	39.58	0	0.00
9	तकनीकी शिक्षा	01	6.52	0	0.00	01	6.52	0	0.00
10	नगर एवं ग्राम आयोजना	01	1.44	0	0.00	01	1.44	0	0.00
11	परिवहन	02	3.77	02	3.77	0	0.00	0	0.00
12	खजाना एवं लेखा	01	6.27	01	6.27	0	0.00	0	0.00
13	महिला एवं बाल विकास	02	10.52	02	10.52	0	0.00	0	0.00
14	सिंचाई	21	2.27	0	0.00	18	2.05	03	0.22
15	जन स्वास्थ्य	02	0.65	0	0.00	02	0.65	0	0.00
	कुल	64	134.06	09	25.44	49	104.84	06	3.78

लंबित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा तालिका 4.14 में संक्षेपित की गई है।

तालिका 4.14: दुर्विनियोजन, हानियां, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0-5	30	104.85	चोरी के मामले	52	106.66
5-10	03	3.12			
10-15	06	11.59	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	12	27.40
15-20	05	7.63			
20-25	05	3.41			
25 एवं अधिक	15	3.46			
कुल	64	134.06	जून 2020 को कुल लंबित मामले	64	134.06

हानि के सभी मामलों में से ₹ 106.66 लाख के 52 मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित हैं। आगे, हानियों के 49 मामलों (₹ 104.84 लाख) के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि छः मामलों में (₹ 3.78 लाख) वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा के कारण बकाया थे। आगे यह भी देखा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 64 मामलों में से ₹ 29.21 करोड़ के 34 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 20 मामले 20 वर्षों से

भी अधिक पुराने थे। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार द्वारा, चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोट्स लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 06 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति की बैठक में चयनात्मक आधार पर चर्चा के अधीन है (नवंबर 2020)। वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 26 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन नवंबर 2020 के बाद से चर्चा के लिए देय है।

4.20 निष्कर्ष

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत 2011-19 के दौरान एकत्र की गई ₹ 4,527.92 करोड़ की प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गईं। इसी प्रकार, सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एकत्र किए गए उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम के बिना रूट किए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2019 तक बोर्ड के पास ₹ 2,948.78 करोड़ की निधियां थीं।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया।

बड़ी संख्या में स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2019-20 के दौरान कुल व्यय का 10.24 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

4.21 सिफारिशें

- i. सरकार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तथा हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के संग्रहण एवं उपयोग के लिए एक उचित लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए ताकि राज्य के लेखों से डाटा आसानी से उपलब्ध हो सके।
- ii. सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।
- iii. वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा कर सकता है कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित कर दिया गया है। आगे, वित्त विभाग को वित्तीय नियमों में निहित निर्देशों को दोहराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है।
- iv. वित्त विभाग, स्वायत्त निकायों और विभागीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- v. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।
- vi. सरकार को नियमों के अंतर्गत अपेक्षितानुसार निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

- vii. वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, वर्तमान में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की सभी प्राप्तियां और व्यय उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए जाएं।

उपर्युक्त बिंदु हरियाणा सरकार को दिसंबर 2020 में टिप्पणी एवं उत्तर के लिए भेजे गए हैं। सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

विशाल बंसल

(विशाल बंसल)

चण्डीगढ़

दिनांक: 02 अगस्त 2021

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 23 अगस्त 2021

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक